क्रमांक : Gen/XII/05/2017/4562 दिनांक : 17/5/2017

प्रेषक : रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर ।

प्रेषिति : समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
(इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र को अपने न्यायक्षेत्र में स्थित समस्त न्यायालयों/ विशिष्ट न्यायालयों को वितरित करायेंगे)

विषय : वर्ष 2017 में ग्रीष्मावकाश उपभोग करने बाबत ।

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति के अनुसरण में समस्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके विकल्पानुसार 10–10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की अनुमति देने का निर्णय लिया गया हैं।

जो भी न्यायिक अधिकारीगण ग्रीष्मावकाश का उपभोग करना चाहते है, वो परस्पर विचार–विमर्श कर अविलम्ब उसकी सूचना संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश को प्रेषित करें तथा संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश अपने न्यायक्षेत्र के ग्रीष्मावकाश उपभोग करने वाले न्यायिक अधिकारीगण की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य सम्पादन करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था बाबत समेकित प्रस्ताव उच्च न्यायालय को दिनांक 27.05.2017 तक पृष्ठांकित प्रारूप में जरिये ई–मेल (hc.raj.nic.in पर Times New Roman मे Font size "14" मे DOC Format में) प्रेषित करें, ताकि समय पर आदेश प्रसारित किये जा सके। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 6/पी.आई/1990 दिनांक 08.03.1990 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर यह भी निवेदन है कि आपके न्यायक्षेत्र में अनन्यतः दीवानी कार्य कर रहे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को भी यह सूचित कर दे कि वे केवल 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश का उपभोग ही करेंगे तथा ऐसे न्यायालयों में शेष ग्रीष्मावकाश की अवधि में न्यायिक अधिकारियों द्वारा फौजदारी मामलों की सुनवाई व निस्तारण हेतु समुचित फौजदारी कार्य स्थानान्तरित करने का श्रम करें।

भवदीय,

16/5/17

(रविन्द्र कुमार जोशी)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

PROFORMA
(Subordinate Courts Estt.)

Name of Judgeship :_____

S. No.	Name of Officer with designation who has been given permission to avail summer vacation.	Period of summer vacation		Remarks
		From	To	
1.	2.	3.	4.	5.

Note : Information be sent in Times New Roman Font on hcraj.nic.in in DOC Format)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: विज्ञप्ति ::

क्रमांक : 06 / विविध / 2017 दिनांक : 17.05.2017

समस्त अधीनस्थ सिविल न्यायालय ग्रीष्मावकाश के कारण रविवार दिनांक 04 जून, 2017 से रविवार 02 जुलाई, 2017 (कुल 29) दिवस तक बन्द रहेगें।

उक्त ग्रीष्मावकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम / भ्रष्टाचार निरोधक मामले / सी.बी.आई. मामले / स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण / स्टेशनरी एवं गबन प्रकरण / साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण / महिला उत्पीड़न / जाली नोट प्रकरण इत्यादि), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट, (ऐसे न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त जिन्हें विशेष आदेश द्वारा ग्रीष्मावकाश उपभोग करने की अनुमति दी गई हो) फौजदारी कार्य करते रहेंगें।

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 6 / पी.आई. दिनांक 09.03.1990 के अनुसार उपरोक्त अवधि में अपने न्यायक्षेत्र के उन न्यायालयों को जो अनन्यतः दीवानी कार्य कर रहे हैं उन्हें सुनवाई एवं निस्तारण हेतु समुचित फौजदारी कार्य (अपील, रिवीजन तथा अन्य ऐसे मामले जो अन्तिम बहस के प्रक्रम पर हो तथा जिनका उक्त अवधि में निस्तारण हो सकता हो) अन्तरित करेंगे **एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी भी न्यायालय में कार्य की न्यूनता न हो।**

दिनांक 11.07.2017 तक समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश यह सूचना संलग्न प्रारूप में आवश्यक रूप से जरिये ई–मेल एवं डाक (hc.raj.nic.in पर Times New Roman मे Font size "14" मे DOC Format में) भिजवायेंगे कि उक्त अवधि में कुल कितने प्रकरणों का अन्तरण किया गया तथा उनमें से इस समयावधि में वर्गवार कुल कितने प्रकरणों का, अन्तरण के अतिरिक्त अन्यथा, निस्तारण हुआ।

पीठासीन अधिकारीगण ग्रीष्मावकाश में पत्रादि प्राप्त करनें एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में उन पर आवश्यक कार्य करने के लिए उचित एवं आवश्यक प्रबंध करेंगें।

न्यायालयों में जिन अनुभागों (शाखाओं) में काम बकाया पड़ा है उसमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में अवकाश पर जाने की अनुमति न दी जावें, वे सदा की तरह अपना कार्य करतें रहेंगें, ताकि जब न्यायालय खुले तब कार्य बकाया न रहें।

सिविल मामलों में सभी वाद पत्र अपीलें जो न्यायालय बन्द न होने की परिस्थिति में ग्रीष्मावकाश की अवधि में प्रस्तुत की जाती, न्यायालय खुलने के दिन प्रस्तुत की जावेगी।

आज्ञा से,

16/5/17

(रविन्द्र कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)